नि र्ण य

(आज दिनांक 4/11/22 को घोषित)

01. स्वेच्छिक अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जाता है।

02. वर्तमान में लोगों में नशा करने की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जाता है।

03. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर न्यायालय अवधि अवसान पर्यन्त के कारावास एवं 1500/- रूपये, अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

04. प्रकरण में जप्तशुदा शराब विधिवत् नष्ट की जावे।

(जितेन्द्र मेहर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पुनासा, जिला खण्डवा